



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.05.2025

यातायात पुलिस कर्मियों को 100 AC हेलमेट एवं अन्य सामग्री का वितरण

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17-05 -2025 को अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात के द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद के शहर एवं देहात के एक्सप्रेस-वे/हाईवे/अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर यातायात बूथ या शेड नहीं है एवं यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे वेदांता, मॉडल टाउन सेक्टर 62, गौर ग्रीन, मीडिया हाउस, भोजपुर, हापुड़ चुंगी अजनारा कट राजनगर एक्सटेंशन, लाल कुआ, मोहननगर आदि स्थानों पर नियुक्त यातायात कर्मियों को ड्यूटी के दौरान धूप/गर्मी से बचाव हेतु 100 टेम्प्रेचर कण्ट्रोल डिवाइस (AC हेलमेट), छाता, पानी की बोतल, सेफ्टी गॉगल्स आदि वितरित किये गए। जिससे यातायात कर्मी, गर्मी में अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहकर सुचारु रूप से यातायात व्यवस्था बनाये रखें। इसके साथ ही यातायात पुलिस कर्मियों को पूर्ण मनोयोग से ड्यूटी करने एवं आमजनों से अच्छा व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुए वर्तमान में जारी अभियान के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया।

- ऑटो/ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी व अगली सीट पर सवारी बिठाना
- दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट
- दो पहिया वाहन पर तीन सवारी
- चार पहिया पर बिना सीट बेल्ट
- शराब सेवन कर वाहन चलाना

उक्त अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात एवं सम्बंधित जोन के यातायात निरीक्षक उपस्थित रहे।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में पटाखे तथा पटाखे बनाने की अवैध सामग्री व उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 16.05.2025 को थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुलशन कालोनी ग्राम शहजादपुर में स्थित एक मकान में अवैध तरीके से मिश्रित आतिशबाजी / पटाखो का निर्माण का कार्य करने वाले अभियुक्त इरफान पुत्र सगीर निवासी फर्रुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 पेटी फायर शाट्स (पूर्ण निर्मित कुल संख्या 1800) व 500 सुतली बम व 500 सुतली बम लाल टेप से कसे हुए व 10 पैकेट डेटोनेटर फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाले (कुल 1000) व 14 बोरे (कुल वजन 285 किलो) फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला सफेद पाउडर व 39 किलो 220 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला पाउडर (बारूद) व 34 किलो 860 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला सिक्के का चूरा / बूटा व 08

किलो 600 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला हल्के पीले व सफेद रंग का पाउडर (गंधक-पोटाश) तथा पटाखे बनाने की अवैध सामग्री उपकरण सहित बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा-9(बी)1(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरे अन्य साथी इस मकान में पटाखे बनाने के उपकरण से अवैध रूप से पटाखे तैयार कर अलग अलग मार्का लगाकर जगह जगह बेच देते हैं जिससे हमें काफी मुनाफा होता है। अवैध रूप से पटाखे बनाकर बेचने से प्राप्त मुनाफे से हम अपना खर्चा चलाते हैं। हमारे पास इसका कोई लाईसेंस भी नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र सगीर निवासी फर्रुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कामिल नि0 फर्रुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद
2. समीर नि0 फर्रुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद
3. आस मौहम्मद नि0 गुलशन कालोनी शहजादपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद
4. महबूब नि0 गुलशन कालोनी शहजादपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद
5. इसरार नि0 गुलशन कालोनी शहजादपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

10 पेटी फायर शाट्स (पूर्ण निर्मित कुल संख्या 1800) व 500 सुतली बम व 500 सुतली बम लाल टेप से कसे हुए व 10 पैकेट डेटोनेटर फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाले (कुल 1000) व 14 बोरे (कुल वजन 285 किलो) फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला सफेद पाउडर व 39 किलो 220 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला पाउडर (बारूद) व 34 किलो 860 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला सिक्के का चूरा / बूटा व 8 किलो 600 ग्राम फायर शाट्स बनाने में प्रयोग होने वाला हल्के पीले व सफेद रंग का पाउडर (गंधक-पोटाश) व 20 बोरे फायर शाट्स बनाने वाली गत्ते की बेलनाकार नली (कुल 2500) , 215 बंडल पैकिंग के छोटे गत्ते (कुल 10750) व 30 बंडल पैकिंग के बड़े गत्ते (कुल 330) व 05 बंडल सफेद रंग का चमकीला पेपर रैपर व 07 बंडल महरूम रंग का चमकीला पेपर रैपर व 03 हथौड़े प्लास्टिक के व 05 बेलन प्लास्टिक की, 02 बेलन लकड़ी के व 03 बेलन लोहे के , 01 छोटा जैक , 01 ड्रिल मशीन , 01 मिक्सी मशीन , एक छोटा ड्रम रंग नीला , एक सफेद रंग का टब मय ढक्कन , 06 टेप कटिंग मशीन 15 बड़े टेप (2 इंच चौड़ा) व 130 टेप (इंच चौड़ा), एक झरना (2*2 फुट)।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना टीलामोड, थाना लोनी, थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम व सीएलए एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ट्रैक्टर बरामद ।

दिनांक 27.04.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी ने अभियुक्त प्रभु सिंह ऊर्फ भूरी पूत्र जगतार निवासी पतवाडी नोएडा गौतमबुद्धनगर को ट्रैक्टर कच्ची ईट ढुलाई के लिये दिया हुआ था। जिसे अभियुक्त प्रभु सिंह ऊर्फ भूरी उपरोक्त द्वारा वादी के ट्रैक्टर को बिना बताये लेकर कहीं चले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 316(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.05.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रभु सिंह ऊर्फ भूरी पूत्र जगतार सिंह निवासी पतवाडी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष को सुराना खिमावती मार्ग से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से ट्रैक्टर सोनालिका बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं यह ट्रैक्टर सुराना स्थित भट्टा पर चलाता था व कच्ची ईट की ढुलाई करता था जितने पैसे होते थे उतने में आधे मेरे व आधे ट्रैक्टर मालिक के होते थे । मैं नशा करता हूँ । एक दिन अचानक मेरे मन में लालच आ गया व मैं इस ट्रैक्टर को लेकर चला गया। मैंने कई बार ट्रैक्टर को बेचने की कोशिश की लेकिन बिक नहीं पाया, आज फिर मैं इसे बेचने ले जा रहा था कि पुलिस चैकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रभु सिंह ऊर्फ भूरी पूत्र जगतार सिंह निवासी पतवाडी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

साईबर सेल थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 60000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी ।

आज दिनांक 17.05.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक पवन गर्ग पुत्र गोपाल कृष्ण निवासी गंगा जमुना हिण्डन अपार्टमेंट सिध्दार्थ विहार गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 60000/- ₹0 वापस कराये गये ।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.03.2025 को पवन गर्ग पुत्र गोपाल कृष्ण निवासी गंगा जमुना हिण्डन अपार्टमेंट सिध्दार्थ विहार गाजियाबाद के साथ 60000/-रु० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 17.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना विजयनगर

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन लूटने वाला शातिर लूटेरा किया गिरफ्तार , गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में बदमाश घायल। कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चोरी की रोयल एनफील्ड मोटर साइकिल , 01 मोबाइल तथा 2000 रु० बरामद

दिनांक 18/04/25 को वादी श्री नितिन त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी मुरादनगर ने सूचना दी कि एक अज्ञात बाईक सवार व्यक्ति मेरा आईफोन 14 मोबाइल छीन लिया है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, चेकिंग के दौरान बुलैट मोटर साइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिनको रुकने के लिए कहा गया तो वह तेजी से एनफील्ड हंटर 350 मो०सा० को लेकर मोरटी तिराहे से मोरटी जाने वाले रास्ते से भागने लगा, ओर आगे जाकर कच्ची उबड खाबड सडक पर मुड गया, जिससे अभियुक्तगण की मोटर साइकिल फिसल गयी , और अभियुक्त गिर गया। पुलिस टीम द्वारा जैसे ही अभियुक्त को सैरेंडर करने हेतु कहा गया तो अभि० द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी,जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया, बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.गौरव उर्फ पल्सर पुत्र सुधीर निवासी. डी 351 पटेल नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष
- 2.सलीम (फरार अभियुक्त)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि० गौरव उर्फ पल्सर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर में 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का, तथा थाना सिहानी गेट पर 12 अभियोग लूट, चोरी, आर्मस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जुआ अधि० के तथा थाना नन्दग्राम पर लूट का 01 अभियोग, कमि० गाजियाबाद में कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

2000 रुपये (लूटे गये मो0फोन को बेचकर प्राप्त)

01 तमंचा .315 बोर,

02 कारतूस .315 बोर, (01 जिन्दा, 01 खोखा)

01 मो0सा0 एनफील्ड हंटर 350 रंग सफेद (चोरी की)

01 मो0फोन इनफिलिक्स कम्पनी का

एक प्री कार्ड मैट्रो

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम नगर जोन ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 04.05.2025 वादी श्री समीर पुत्र स्व0 शमसेर निवासी म0नं071 मवई थाना विजयनगर गाजियाबाद की तहरीरी सूचना कि विजय प्लास्टिक कम्पनी बुलन्दशहर रोड गा0बाद के समाने हाइवे किनारे टायर पंचर का काम करता हूँ दिनांक 4.5.2025 को सुबह 8 बजे प्लास्टिक कम्पनी बुलन्दशहर रोड गा0बाद के समाने हाइवे किनारे अपनी दूकान पर आया तो देखा कि मेरी दूकान के नीचे सर्विस रोड के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 25 साल का शव पड़ा है उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गईं।

कार्यवाही का विवरण:- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टैलीजेन्स के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रिकू पुत्र जसवीर नि0 रंजीत का मकान लठमार कालोनी अम्बेडकर फार्म थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव सैदपुर थाना बीबी नगर बुलन्दशहर को ABES कट के पास व 2. प्रियंका पत्नी संजय पुत्र मूलचन्द नि0 म0न0 155 SA लठमार कालोनी थाना क्रासिंग रिपब्लिक को बाईपास से कमला हाल जाने वाले कट से आज दिनांक 17.05.2025 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता प्रियंका उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी दोस्ती रिकू से थी । मेरा पति मुझसे मारपीट करता था तथा परेशान करता था। मैंने अपने पति से परेशान होकर रिकू से अपने पति स्व0 संजय को रास्ते से हटाने की बात की । मेरे कहने पर रिकू ने मेरे पति का पहले गला घोटकर मारने का प्रयास किया फिर उसके सर पर बोतल दे मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । यह घटना हाइवे के सर्विस रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में की थी। मार कर मुझे फोन से बताया था ।

बरामदगी –

1. मृतक का मोबाइल
2. अभियुक्त रिकू व प्रियंका के बातचीत में प्रयुक्त सिम

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. रिकू पुत्र जसवीर हाल पता रंजीत का मकान लठमार कालोनी अम्बेडकर फार्म थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव सैदपुर थाना बीबी नगर बुलन्दशहर
2. प्रियंका पत्नि स्व० संजय पुत्र मूलचन्द नि० मन० 155 SA लठमार कालोनी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद